रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128 REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थागार CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA भारत सरकार 13.1.88

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 5, 1987/अग्रहायण 14, 1909
No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 5, 1987/AGRAHAYANA 14, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम, जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules including Orders, Bye-laws etc. of a general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1987

शुद्धिपत्र

सा०का०नि० 898.—भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 558 तारीख 2 जून, 1987 में जो भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3 उप-खंड (1) तारीख 25 जुलाई, 1987 को पृष्ठ 1883 से 1898 पर प्रकाशित हुई है।

(क) पृष्ठ 1884 पर स्तम्भ 13 में पंक्ति 6 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें, अर्थात् :—

"टिप्पण : पुष्टि से संबन्धित विभागीय समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।"

(ख) पृष्ठ 1885 पर,

(i) स्तम्भ 8 में—

पंक्ति 6 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें—

"या

सात वर्ष तक राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य रहा है।"

(ii) पंक्ति 8 और पंक्ति 9 के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ें—
"राज्य के विधि विभाग में 7 वर्ष तक पद धारण किए हो या केन्द्रीय सरकार का सेवक जिसे विधि कार्य में 7 वर्ष का अनुभव हो।"

(ग) पृष्ठ 1886 पर स्तम्भ 12 पंक्ति 12 में "स्तम्भ 7" के स्थान पर "स्तम्भ 8" पढ़ें :

(घ) पृष्ठ 1884 पर स्तम्भ 12, पंक्ति 11 में "स्तम्भ 7" के स्थान पर "स्तम्भ 8" पढ़ें।

(ङ) पृष्ठ 1890 पर

(i) स्तम्भ 12 में पंक्ति 4 (पैरा ख) में "स्तम्भ 7" के स्थान पर "स्तम्भ 8" पढ़ें।

[सं. ए. 12018(4)/86-प्रशा. III वि.का.]

एस. एन. धीर, अवर सचिव

.87/1662 GI—1

नई दिल्ली, 16 नवम्बर 1987

सा. का. नि. 911-—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दूरदर्शन में टाईपिस्ट कैरेक्टर जैनरेटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम टाईपिस्ट कैरेक्टर जेनरेटर भर्ती नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिनका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1.	2	3	4	5	6	7
टाईपिस्ट कैरेक्टर जनरेटर	पश्चिम बंगाल अंचल 3* तमिलनाडु 3* अंचल महाराष्ट्र 3* अंचल दिल्ली अंचल 3* प्रत्येक अंचल में निम्नलिखित होंगे। (i) पश्चिम बंगाल (ii) तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (iii) महाराष्ट्र, गोवा (iv) दिल्ली *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" राजपत्रित अननुसचिवीय	950-20-1150-द.रो. 25-1500	लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।
11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : दूरदर्शन और आकाशवाणी के ऐसे लिपिक श्रेणी 2/सामान्य सहायक जो अपने अपने ऐसे आंचलिक काडर में हैं जिससे रिक्ति सुसंगत है और जिनके पास टाईपिंग में न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[सं० 3/4/86--स्टाफ 2/टी. वी. (ए)]
वी. के. अरोड़ा, अवर सचिव

New Delhi, the 16th November, 1987

G.S.R. 911.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Typist for Character Generator in Doordarshan, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Typist for Character Generator Recruitment Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other specified categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of Post	Classification	Scale of of pay	Whether Selection Posts or Non-Selection posts	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules 1972	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Typists for Character Generator	West Bengal Zone 3* Tamil Nadu Zone 3* Maharashtra Zone 3* Delhi Zone 3* *Each zone consists of : (i) West Bengal (ii) Tamil Nadu, Pondicherry and Andaman & Nicobar Islands (iii) Maharashtra and Goa (iv) Delhi. *Subject to variation depending on work load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted Ministerial	Rs.950-20-1150-EB-25-1500	Not applicable	No	Not applicable	Not applicable

Whether age & educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer Percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	Transfer on Deputation. Clerk, Grade-II/General Asstt. of Doordarshan and AIR and borne on the respective Zonal Cadre to which the vacancy is relevant with a minimum typing speed of 40 w.p.m. (period of deputation shall ordinarily not exceed three years)	Not applicable	Not applicable

[No. 3/4/86-S.II/TV(A)]

V.K. ARORA, Under Secy